रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 26] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 21, 2006/फाल्गुन 2, 1927
No. 26] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 21, 2006/PHALGUNA 2, 1927

भारतीय दन्त परिषद

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2006

सं. डी.ई-22-2005.—भारतीय दन्त चिकित्सा अधिनियम, 1948 (1948 का 16) की धारा 20 के साथ पठित धारा 10क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दन्त परिषद् केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति से, नए दन्त कालेज खोलने, दन्त कालेजों में अध्ययन अथवा प्रशिक्षण के नए अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम शुरू करने अथवा प्रवेश क्षमता बढ़ाने से संबंधित विनियमों में संशोधन करते हुए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामत: :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :

(1) इन विनियमों को भारतीय दन्त परिषद् (नए दन्त कालेज खोलना, दन्त कालेजों में अध्ययन अथवा प्रशिक्षण के नए अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम शुरू करना और प्रवेश क्षमता बढ़ाना) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2006 कहा जाएगा।

(2) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. दन्त चिकित्सक अधिनियम की धारा 10क के अधीन अनुमति हेतु भारतीय दन्त परिषद् में लम्बित आवेदनों (शैक्षिक वर्ष 2006-2007 के लिए प्राप्त आवेदनों सहित) के संबंध में प्रधान विनियमों की प्रयोजनीयता में आंशिक संशोधन करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने अपने दिनांक 3/6 फरवरी, 2006 के पत्र संख्या बी. 12012/4/2003-पी.एम.एस. (डी.ई.) के तहत निम्नलिखित निर्णय किया है :—

"यह निर्णय किया गया है कि संशोधित विनियमों की प्रयोजनीयता के संबंध में लम्बित आवेदनों को कतिपय छूटें/ढीलें दी जाएं। इस तथ्य को देखते हुए कि संशोधित विनियमों के अनुसार, प्रस्तावित दन्त कालेज के लिए चिन्हित भूमि पर निर्मित क्षेत्र के संबंध में अपेक्षाओं का तुरन्त पालन करना आवेदनों के लिए व्यवहार्य नहीं होगा, यह निर्णय किया गया है कि निर्मित क्षेत्र की अपेक्षाओं को पूरा करने के प्रयोजन के लिए एक वर्ष की माफी अवधि प्रदान की जाए, अर्थात् नवीकरण के लिए निरीक्षण की देय तारीख तक को माफी दी जाए। इसी तरह, जिन मामलों में दन्त कालेज ने किसी निजी अस्पताल से गठ-जोड़ कर रखा है उन मामलों में अस्पताल संबंधन से जुड़े प्रावधान लम्बित आवेदनों पर एक वर्ष की अवधि के लिए लागू नहीं होंगे, बशर्ते कि उस अवधि में दन्त कालेज संशोधित विनियमों में निर्धारित मानदण्डों के अनुसार 100 पलंगों वाला स्वयं का एक अस्पताल स्थापित करने की स्थिति में है।"

यह सुनिश्चित करने के लिए कि विधिवत् अनुमति दिए जाने के बाद ऐसे दन्त कालेजों में दाखिल किए गए छात्रों के हितों की रक्षा की जा सके, यह भी निर्णय किया गया है कि ये ढीलें जहां भी मांगी जाती हैं आवेदकों को इस शर्त के अधीन दी जाएंगी कि वे भारतीय दन्त परिषद् को इस आशय की वचन-बद्धता दें कि वे अगले नवीकरण की देय तारीख से पहले संशोधित विनियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन कर लेंगे और ऐसा नहीं करने पर वे अनुमति के नवीकरण के लिए अनुरोध करने के पात्र नहीं होंगे। यह भी इस शर्त के अध्यधीन होगा कि यदि निर्मित क्षेत्र से संबंधित प्रावधानों के

संबंध में छूट मांगी जाती है तो भारतीय परिषद् के पक्ष में एक वर्ष के लिए वैध [illegible] रुपए की अतिरिक्त बैंक गारंटी प्रस्तुत करनी होगी और यदि अस्पताल संबंधन के संबंध में छूट मांगी जाती है तो एक करोड़ रुपए की इसी तरह की बैंक गारंटी देनी होगी।

एस. एस. अरोड़ा, सचिव (आई/सी)
[विज्ञापन-III/IV/असाधारण/98/05]

पाद टिप्पणी :—1. [illegible] (नए दन्त कालेज खोलना, दन्त कालेजों में अध्ययन अथवा प्रशिक्षण के नए अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम शुरू करना और प्रवेश क्षमता बढ़ाना) विनियम, 2006 भारत के राजपत्र के भाग III, खण्ड 4 में 12 जनवरी, 2006 को प्रकाशित किए गए थे।

2. प्रधान विनियमों में पहला संशोधन भारत के राजपत्र के भाग III, खण्ड 4 में 16 जनवरी, 2006 को प्रकाशित किया गया था।

DENTAL COUNCIL OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th February, 2006

No. DE-22-2005.—In exercise of the powers conferred by section 10A read with section 20 of the Dentists Act, 1948 (16 of 1948), the Dental Council of India with the previous approval of the Central Government hereby makes the following regulations to amend the Regulations relating to establishment of new dental colleges, opening of new or higher course of study or training and increase of admission capacity in dental colleges, namely :—

1. **Short title and commencement :—**

(1) These regulations may be called the Dental Council of India (Establishment of New Dental Colleges, Opening of New or Higher Course of Study or Training and Increase of Admission Capacity in Dental Colleges) (2nd Amendment) Regulations, 2006

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In partial modification of the applicability of the principal Regulations, regarding the applications pending with the Dental Council of India (including those received for the academic session 2006-07) for permission under section 10A of the Dentists Act, the Central Government vide its letter No. V. 12012/4/2003-PMS (DE) dated 3rd/6th February, 2006, has decided as under :—

". . . .It has been decided that certain exemptions/relaxations may be given to the pending applications in regard to the applicability of the revised regulations to them. Considering the fact that it may not be feasible for the applicants to readily conform to the requirements relating to constructed area on the land earmarked for the proposed dental college as per the revised regulations, it has been decided to grant a grace period of one year i.e. till the inspection for the next renewal of permission is due, for the purpose of fulfilling the requirements of constructed area. Similarly, the provisions relating to hospital attachment in cases where the dental college has a tie-up with a private hospital will not apply to the pending applications for a period of one year provided the dental college is in a position to set up its own 100 bed hospital in accordance with the norms prescribed in the revised regulations during the period.

In order to ensure that the interests of the students admitted, after due permission, to such dental colleges are protected, it has also been decided that these relaxations wherever sought will be provided to the applicants subject to their furnishing an undertaking to the Dental Council of India to the effect that they would comply with the requirements of the revised regulations before the next renewal is due failing which they would not be entitled to seek renewal of permission. This would also be subject to their furnishing an additional bank guarantee of Rs. 1.00 crore valid for one year in favour of the Dental Council of India in case relaxation in respect of the provision relating to constructed area is sought and a similar bank guarantee for Rs. 1.00 crore in case relaxation relating to hospital attachment is sought."

S.S. ARORA, Secy. (I/c)
[ADVT-III/IV/Exty/98/05]

Footnote : 1. The Principal regulations, namely, the Dental Council of India (Establishment of New Dental Colleges, Opening of New or Higher Course of Study or Training and Increase of Admission Capacity in Dental Colleges) Regulations, 2006, published in Part III, Section 4 of the Gazette of India, Extraordinary, on 12th January, 2006.

2. The first Amendment to the Principal Regulations, published in Part III, Section 4 of the Gazette of India, Extraordinary, on 16th January, 2006.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.